चुनावी प्रक्रिया में सुधार हेतु दिशा-निर्देश

प्रीलिम्स के लिये:

भारत निर्वाचन आयोग

मेन्स के लिये:

भारत निर्वाचन आयोग की चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) के नौ कार्यकारी समूहों ने चुनावी प्रक्रिया में फेरबदल करने हेतु 25 मुख्य सिफारिशें प्रकाशित कर जनता से टिप्पणी या सुझाव मांगे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ### कार्यकारी समूहों के बारे में:
  - लोकसभा चुनाव के बाद ECI के अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के को शामिल करते हुए इन कार्यकारी समूहों का गठन किया गया था।
  - इन समूहों ने कार्यक्षेत्र से आँकड़े जुटा कर मौजूदा कानून और संस्थागत ढाँचे के संदर्भ में इन आँकड़ों का विश्लेषण किया और चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु विकल्प सुझाए।
- ### मुख्य सिफारिशें:
  - मतदाताओं के लिये सभी सेवाओं जैसे- पंजीकरण, पते में परिवर्तन, नामों का विलोपन इत्यादि हेतु एकल फॉर्म।
  - नागरिकों के लिये चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु नेटवर्क और इलेक्टोरल सर्विस सेंटर (Electoral Service Centres-ESC)/वोटर सुविधा केंद्रों (Voter Facilitation Centres-VFC) का विस्तार करना।
  - दिव्यांग (PWD) एवं वरिष्ठ (+80 वर्ष) नागरिकों को घर पर चुनावी सेवाएँ प्रदान करना।
  - 17 वर्ष की आयु वाले भावी मतदाताओं को स्कूलों/कॉलेजों में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
  - बूथ लेवल ऑफिसर (Booth Level Officer-BLO) प्रणाली में सुधार और डिजिटिलीकरण हेतु तकनीकी सुविधाओं से लैस BLO को चरणबद्ध तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिये।
  - मतदाताओं के लिये e-EPIC (Electors Photo Identity Card) का प्रावधान।
  - मतदाताओं के पंजीकरण हेतु एक वार्षिक तिथि (1 जनवरी) के बजाय त्रैमासिक/अर्द्ध वार्षिक तिथियों का प्रावधान।
  - अग्रिम तौर पर चुनावी रूप-रेखा तैयार करने के लिये ECI, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या जिला स्तरों पर एक "मॉडर्न ऑनलाइन इलेक्शन प्लानिंग पोर्टल (Modern Online Election Planning Portal) " लॉन्च करने का प्रावधान ।
  - दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल।
  - लोक सूचना के लिये संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों या मतदान केंद्रों के मानचित्रण हेतु भौगोलिक सूचना तंत्र (Geographic Information System-GIS) आधारित निर्वाचन संबंधी एटलस का उपयोग।
  - निर्वाचन कैलेंडर और निर्वाचन कार्यक्रम हेतु डिजिटल पोर्टल।
  - राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और मीडिया कर्मियों के लिये दिशा-निर्देश कार्यक्रम।
  - प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के लिये नियम।
  - प्रत्याशियों का ऑनलाइन नामांकन।
  - राजनीतिक पार्टियों का खर्च निर्धारित करना।
- ### संस्थागत सुदृढ़ीकरण:

- नरि्वाचन संबंधी शकि्षा और जागरूकता के लयि सरकारी संगठनों, सार्वजनकि उपक्रमों और नजिी व्यापार/औद्योगकि संगठनों के साथ भागीदारी।
- सभी स्कूलों/कॉलेजों में नरि्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) स्थापति करना।
- सभी सरकारी और नजिी संगठनों में मतदाता जागरूकता मंच स्थापति करना।
- मतदाता जागरूकता हेतु सभी मतदान केंद्रों में नरि्वाचन पाठशाला की स्थापना करना।
- स्कूल के पाठ्यक्रमों में मतदाता-शकि्षा का समावेश।
- मतदाता शकि्षा और जागरूकता हेतु छह क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करना।

• जनसंचार माध्यम का सुदृढ़ीकरण:

- नई तकनीक का सक्रयि उपयोग।
- मतदाताओं और अन्य हतिधारकों की शकि्षा हेतु वेब टीवी और वेब रेडियो की स्थापना करना।
- मतदाताओं के लयि दूरदर्शन या रेडियो पर एक साप्ताहकि कार्यक्रम शुरू करना।
- मतदाता शकि्षा हेतु सामुदायकि रेडियो स्टेशन स्थापति करना।

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/roadmap-for-revamp